जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)

परमा देवी वगैराह बनाम कैलाश वगैराह
दावा क्रमांक 115/2022

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जारी सम्मन तमिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने व प्रतिवादी संख्या 8 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र परमादेवी के प्रस्तुत किये व नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा डिडिया खुर्द के खाता संख्या 26 प्रदर्ष–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा डिडिया कलां के खाता संख्या 381 प्रदर्ष–2, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।. वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 से 3 क्रमशः परमादेवी, ताराचंद व सोहनलाल के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में डिडिया खुर्द का खेत खसरा नम्बर 407 रकबा 2.9137 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. शेंष खसरान यथावत घोषित किये जाते है।
3. बैक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 17.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner